प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं 238/22 दिनांक 15/6/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018.....धाराऐं 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम.....धाराऐं .....

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 14.06.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 14.06.2022 समय :– 10.00 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....285..... समय.....7.00 PM.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 04 कि0मी0 बजानिब उत्तर दिशा
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– महिला थाना झालावाड़ के सामने स्थित सत्यनारांयण भगवान के मन्दिर के पास, झालावाड़.
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री शरीफ हुसैन
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री अब्दुल सलीम जाति मुसलमान
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 42 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– बसेड़ा मोहल्ला वार्ड नम्बर 22 झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्रीमती सुशीला पत्नि श्री मनोज कुमार जाति कहार माली उम्र 50 साल निवासी किसान भवन के पास ब्रजनगर झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ हाल सहायंक उप निरीक्षक महिला थाना झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: – 10,000 रूपये .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन पुत्र श्री अब्दुल सलीम जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी बसेड़ा मोहल्ला वार्ड नम्बर 22 थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री शरीफ हुसैन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री शरीफ हुसैन ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से कम्प्यूटर पर टाईप करवाना बताया जो इस सम्बंध में किसी अन्य व्यक्ति से कोई जिक्र नहीं करेगा तथा पूर्णत: गोपनीय रखेगा। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा

उस पर स्वंय के साक्षर के रूप में हस्ताक्षर करना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके भाई श्री सद्दाम का ऑल्ड ब्लॉक स्कूल के पास रहने वाली एक महिला से किसी बात को लेकर तू तू, मैं मैं हो गयी थी। जिस पर उस महिला ने महिला थाना झालावाड़ जाकर थाने में उसके भाई श्री सद्दाम के खिलाफ महिला के साथ गाली गलौच व छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मैं महिला थाने में जाकर मुकदमें की जांच कर रही सुशीला एएसआई से मिला तथा उससे कहा कि मैडम छेड़छाड़ जैसी कोई बातचीत नही हुई है। तू तू मैं मैं और थोड़ी बहुत कहा सुनी जैसी मामूली बात जरूर हुई है। इस पर सुशीला एएसआई ने कहा कि यह तो किसी महिला के साथ छेड़छाड करने जैसी गम्भीर घटना की रिपोर्ट है। इस केस को निपटाने के लिए 50,000रूपये देने पड़ेगे। इस पर मैंने सुशीला एएसआई से कहा कि मैडम हम गरीब आदमी है। हमारे पास इतने रूपये नही है। और फिर मामला भी छोटा सा ही है तो मैडम ने कहा कि मैं सारे पैसे अपने पास थोड़ी रखूंगी। मुझे थाने के सीआई साहब को भी देने पड़ेगें। इस पर मैंने कहा कि मैडम वकील को भी जमानत के पैसे अलग से देने पड़ेगें तो सुशीला एएसआई ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की कोर्ट से जमानत भी करा दूंगी। मेरे हाथा जोड़ी करने व गरीब आदमी की कहने पर उसने कहा कि तुम गरीब आदमी हो तो चलो ठीक है 15,000रूपये दे देना। मैं मेरे भाई के खिलाफ महिला थाना में दर्ज कराये गये छेड़छाड़ के झूंठे मुकदमें तथा मुकदमें में मेरे भाई की कोर्ट से जमानत कराने के लिए सुशीला एएसआई को 15,000रूपये की रिश्वत नही देना चाहता हूं। मैं सुशीला एएसआई महिला थाना झालावाड़ को 15,000रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में पाये जाने पर समय 10.30 एएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री शरीफ हुसैन को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री शरीफ हुसैन के साथ दोनों को आवश्यक हिदायत देकर अपनी–अपनी मोटरसाइकिलों से बजानिब महिला थाना झालावाड़ के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शरीफ हुसैन को पूछने पर उसने बताया कि मैं व देवदान सिंह जी महिला थाना से पहले कुछ दूरी पर अपनी मोटर साईकिले साईड में खड़ी करने के बाद मैं अकेला महिला थाना के अन्दर गया तथा देवदान सिंह जी वही मेरा इंतजार करने लगे। मैंने महिला थाना झालावाड़ के अन्दर जाकर स्टॉफ से पता किया तो सुशीला एएसआई मेडम का जिला न्यायालय झालावाड़ में जाना ज्ञात हुआ। इस पर मैं तुरन्त श्री देवदान सिंह जी के पास आकर दोनों अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से जिला न्यायालय झालावाड़ परिसर पहुंचे तथा पार्किंग स्थल पर मोटर साईकिले खड़ी कर देवदान सिंह जी को वहीं रूकने का कहकर मैं अकेला ही जिला न्यायालय भवन के अन्दर प्रवेश करने ही वाला था कि मुझे बाहर की तरफ सुशीला एएसआई नजर आयी। जिस पर मैंने उनके पास जाकर नमस्कार किया तो वह मुझे देखते ही साईड में ले गयी तथा जब मैंने कहा कि अभी मेरे पास 5,000रूपये ही है तथा शेष 10,000रूपये शाम 7–8 बजे तक दे दूंगा। इस पर सुशीला एएसआई ने कहा कि अभी तो जो भी तुम्हारे पास हो वह दे जावो। फिर शाम को मुझको कॉल कर बाकी रूपये लेकर महिला थाना या अगर मैं अपने घर चली जाऊं तो वहां पर आ जाना। इतना कहकर मैडम ने मुझे चले जाने का ईशारा किया तो मैं तुरन्त पार्किंग स्थल के पास साईड में मेरे इंतजार में खड़े देवदान जी के पास जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर उनको सुपुर्द करते हुए यह सारी बाते बतायी। मैंने सुशीला एएसआई से 5,000रूपये रिश्वत राशि देते समय तथा बाकी के 10,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करते समय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था तथा हमारे दोनों के बीच हुई वार्तालाप डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गयी है। परिवादी श्री शरीफ हुसैन द्वारा बताये गये कथनों की निगरानी हेतु भेजे गये श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा भी पुष्टि की गयी। श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये रिकॉर्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने के निर्देश दिये गये तथा परिवादी श्री शरीफ हुसैन को सांय 06.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में मय रिश्वत राशि आरोपिता सुशीला एएसआई की उपस्थिति के बारे में मालुमाल कर उपस्थित आने तथा अब तक कार्यवाही के सम्बंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 12:50 पीएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन को आरोपिता सुशीला एएसआई ने आज दिनांक 14.06.2022 को सांय 7–8 बजे मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशि लेकर महिला थाना झालावाड़ अथवा उसके आवास जहां पर भी हो बुलाया है। अतः जिला वन अधिकारी, वन विभाग झालावाड़ के नाम पत्रांक एसपीएल–03 दिनांक 14.06.2022 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को देकर आज दिनांक 14.06.2022 को सांय 06.00 बजे गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाह एक महिला व एक पुरूष कर्मचारी भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम व

पद अवगत कराने के लिए कार्यालय जिला वन अधिकारी, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। समय 01:20 पीएम पर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ में तैनात श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ पुत्री श्री हरीओम जांगीड़ जाति जांगीड़ उम्र 36 वर्ष निवासी बालजी की छतरी, राजकीय आवास, झालावाड़ हाल सूचना सहायक मोबाईल नम्बर 9950644744 व श्री रोहित कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी बालजी की छतरी, राजकीय आवास, झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 9667425529 कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय आकर जिला वन अधिकारी झालावाड़ द्वारा पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 31 दिनांक 14.06.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। उक्त पत्रांक को शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.00 पीएम पर तलविदा उपरोक्त दो स्वतंत्र गवाहान श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ हाल सूचना सहायक व श्री रोहित कुमार शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 06:20 पीएम पर पावन्द शुदा परिवादी श्री शरीफ हुसैन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने बताया कि अभी तो आरोपिता सुशीला एएसआई महिला थाना झालावाड़ पर ही मौजूद है। परन्तु ट्रेप कार्यवाही के लिए जाने से पूर्व एक बार और पता कर आपको बता दूंगा। परिवादी श्री शरीफ हुसैन का ब्यूरो कार्यालय में पूर्व से उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ सूचना सहायक एवं श्री रोहित कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री शरीफ हुसैन का आज दिनांक 14.06.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये कम्प्यूटर से टाईप शुदा प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में शामिल होने बाबत् सहमति देकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 06:30 पीएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ व श्री रोहित कुमार शर्मा की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 14.06.2022 को परिवादी श्री शरीफ हुसैन व आरोपिता सुशीला एएसआई महिला थाना झालावाड़ के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी से उसके भाई श्री सद्दाम के विरूद्ध दर्ज केस को निपटाने व कोर्ट से जमानत करवाने की एवज में आरोपिता सुशीला एएसआई द्वारा 15,000रूपये रिश्वत की मांग करना रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है जिसमें आरोपिता सुशीला एएसआई द्वारा परिवादी श्री शरीफ हुसैन से 5,000रूपये रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान ही प्राप्त कर लिये है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 14.06.2022 को हुई वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री शरीफ हुसैन को वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री शरीफ हुसैन ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपिता सुशीला एएसआई की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 07:05 पीएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ व श्री रोहित कुमार शर्मा के समक्ष अपने पास से 10,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 20 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 10,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री रोहित कुमार शर्मा से परिवादी श्री शरीफ हुसैन की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि के नोटो को परिवादी श्री शरीफ हुसैन की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपिता द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपिता से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपिता द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती अथवा छुपाती हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपिता के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन

पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजूद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। गिलास को साफ करवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो गिलास, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व सायुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व सायुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों ने अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वत लेन देन के समय लेन–देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चेक कर उसके रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री शरीफ हुसैन को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्यंधितों ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 07:35 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ व श्री रोहित कुमार शर्मा तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व निजी मोटर साईकिलों से बजानिब महिला थाना झालावाड़ की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री शरीफ हुसैन को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से ट्रेप पार्टी आगे–आगे महिला थाना झालावाड़ की और रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 08:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दो सरकारी गवाहान् व निजी मोटर साईकिल से एसीबी जाब्ता के साथ महिला थाना झालावाड़ के पास खड़े परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी को हिदायत देकर रिश्वत लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय रिश्वत राशि के महिला थाना झालावाड़ के लिए आरोपिता सुशीला एएसआई के पास रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के अपने–अपने वाहनों के पास ही उपस्थित रहकर ट्रेप जाल बिछाया व परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 08:22 पीएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को महिला थाना झालावाड़ के सामने स्थित सत्यनारायण भगवान के मन्दिर के पास से पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर क़रने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर हमराह लेकर परिवादी श्री शरीफ हुसैन के पास पहुंचा तथा पूर्व में आरोपिता से रिश्वत लेनदेन के समय वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। परिवादी श्री शरीफ हुसैन से आरोपिता द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगंह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने कुछ दूरी पर ग्रे कलर की स्कूटी पर हल्के हरे रंग का कुर्ता व पीले रंग का सलवार व दुपट्टा पहने सांवले से रंग की महिला की और ईशारा कर बताया कि साहब यही सुशीला एएसआई है जिसने अभी अभी मुझसे रिश्वत राशि 10,000रूपये के सम्बंध में बातचीत कर अपनी स्कूटी की डिग्गी खोलकर उसमें रखी हरे रंग की सब्जियों से भरी थैलियों व काले रंग के पर्स के बगल में रखवाकर मुझे रवाना कर दिया था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री शरीफ हुसैन, स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के साथ समीप ही ग्रे कलर की स्कूटी पर बैठी हल्के हरे रंग का कुर्ता व पीले रंग का सलवार व दुपट्टा पहने सांवले से रंग की महिला के पास पहुंचा तथा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गयी जिसे तसल्ली देकर उसका नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम सुशीला पत्नि श्री मनोज कुमार जाति कहार माली उम्र 50 साल निवासी किसान भवन के पास ब्रजनगर झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। इस पर आरोपिता श्रीमती सुशीला के दोनों हाथ स्वतंत्र गवाह श्रीमती चन्द्रंकला द्वारा कलाई से ऊपर पृथक–पृथक पकड़वाकर स्कूटी से नीचे उतारकर महिला थाना झालावाड़ स्थित थानाधिकारी कक्ष में पैदल–पैदल लेकर आये तथा आरोपिता श्रीमती सुशीला की स्कूटी को भी पिछे–पिछे पैदल पैदल लाकर थाने के अन्दर खड़ा कर दिया तथा हमराह लाये सरकारी वाहन व प्राईवेट मोटर साईकिल को महिला थाना भवन के बाहर खड़ा कर स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के महिला थाना पर

आया। तत्पश्चात् आरोपिता श्रीमती सुशीला से परिवादी श्री शरीफ हुसैन से मांगी गयी 15,000रूपये की रिश्वत राशि तथा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आज ही न्यायालय परिसर में ली गयी 5,000रूपये की रिश्वत राशि तथा शेष 10,000रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर अपनी स्कूटी की डिग्गी को खोलकर उसके अन्दर रखवाने बाबत् पूछा गया कि उन्होने यह रिश्वत राशि क्यों व. किस उद्देश्य से ली व रखवायी है तो रूबरू गवाहान आरोपिता श्रीमती सुशीला ने बताया कि मैंने श्री शरीफ हुसैन से कहा था कि तुम्हारे भाई श्री सद्दाम के खिलाफ दर्ज प्रकरण में अनुसंधान इस तरह से करूंगी कि तुम्हारे भाई की न्यायालय से जमानत हो जायेगी। इस पर श्री शरीफ हुसैन मेरे पास आया तथा उसने मुझे आज सुबह न्यायालय परिसर में 5,000रूपये तथा अभी-अभी स्कूटी से घर जाते समय 10,000रूपये दिये थे। यह 10,000रूपये मैंने डिग्गी खोलकर सब्जियों की थैलियों के ऊपर उससे रखवाये थे। उसके बाद मैंने मेरे बेग व सब्जियों की थैलियों को सेट कर स्कूटी की डिग्गी लॉक कर दी थी। उसके बाद मैं अपने घर पर जाने ही वाली थी कि आप सभी लोग मेरे पास आ गये। मैंने श्री शरीफ हुसैन से कोई रिश्वत की जबरदस्ती मांग नहीं की है। इन्होंने राजी खुशी बिना मांगे मुझे यह रूपये दिये है कि मैं इसके भाई कि कोर्ट से जमानत कराने में मदद करूंगी। मैंने यह सोचकर रख लिये कि मैं केस में इसके भाई की मदद कर रही हूं। मुझे माफ करें। गलती हो गयी। आरोपिता श्रीमती सुशीला द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का परिवादी श्री शरीफ हुसैन ने खण्डन करते हुए बताया कि श्रीमती सुशीला एएसआई झूठ बोल रही है। इन्होने मेरे भाई श्री सद्दाम के खिलाफ ऑल्ड ब्लॉक स्कूल के पास रहने वाली एक महिला ने छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस के सम्बंध में जब मैं श्रीमती सुशीला एएसआई से महिला थाना जाकर मिला तथा कहा कि मेडम मामूली सी बात हुई है कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ मेरे भाई द्वारा नहीं की गयी है। इस पर उन्होने मेरे भाई के खिलाफ दर्ज मुकदमें में न्यायालय से जमानतं करवाने की एवज में 15,000रूपये रिश्वत की मुझसे मांग की थी। इस पर आज दिनांक 14.06.2022 को मैंने आपके कार्यालय में जाकर ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत् रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर आप द्वारा आज ही श्री देवदान सिंह जी को मेरे साथ मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भिजवाकर न्यायालय परिसर झालावाड में रिश्वत मांग सत्यापन कराया था तथा उसके बाद अभी कुछ देर पहले श्रीमती सुशीला एएसआई ने महिला थाना झालावाड़ के बाहर अपनी स्कूटी की डिग्गी खोलकर मुझसे रिश्वत राशि के 10,000रूपये मांग कर डिग्गी में रखवाये थे। उसके बाद मैंने आपको ईशारा करने पर आप सभी लोग इनके पास आ गये तथा कार्यवाही करने लगे। मैंने आरोपिता श्रीमती सुशीला एएसआई को स्वैच्छा से कोई रिश्वत राशि नहीं दी है। इन्होने मुझसे रिश्वत राशि के रूप में 15,000रूपये मांग कर लिये है। जिनमें 5,000रूपये दिन में न्यायालय परिसर में सत्यापन की कार्यवाही के दौरान तथा शेष राशि 10,000रूपये अपनी स्कूटी की डिग्गी में मांग कर रखवायी है तथा मेरे भाई श्री सद्दाम की जमानत भी न्यायालय से नहीं हुई है तथा उसको जैल भेज दिया है। इस तरह आरोपिता श्रीमती सुशीला ने मुझे मेरे भाई के केस में झूठा दिलासा दिलाकर जमानत करवाने के नाम पर 15,000रूपये की रिश्वत राशि अब तक ले ली है। परिवादी द्वारा किये गये खण्डन के उपरान्त आरोपिता श्रीमती सुशीला के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैंयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल में आरोपिता श्रीमती सुशीला के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को स्वतंत्र गवाह श्रीमती चन्द्रंकला द्वारा उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा मोके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपिता श्रीमती सुशीला के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को श्रीमती चन्द्रंकला द्वारा उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर स्वतंत्र गवाह श्री रोहित कुमार शर्मा को आरोपिता श्रीमती सुशीला की ग्रे. कलर की होण्डा एक्टिवा स्कूटी आरजे 17 एसएच 8456 की डिग्गी को चाबी से खुलवाकर सीट को ऊंचा कराया गया तो डिग्गी के अन्दर हरे रंग की थैलियों में रखी हुई सब्जियों तथा काले रंगे के पर्स के नजदीक 500-500 रूपये के नोटो की एक थेई नजर आयी। जिसे स्वतंत्र गवाह श्री रोहित कुमार शर्मा से उठवाया जाकर तथा अन्य स्वतंत्र गवाह श्रीमती चन्द्रंकला को फर्द सुपुर्दगी नोट देंकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू रिश्वत राशि वाले 500-500रूपये के 20 नोट कुल 10,000रूपये बरामद किये गये। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:-

1	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	9DA 226235
2	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0GR 765802
3	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1VD 830194
4	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1PC 248707
5	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2NM 641245

6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1UK 825831
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6EU 747411
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6EU 747410
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EW 132501
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0VW 403307
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7UA 911854
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1DS 448481
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5UR 189715
14	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2VV 972841
15	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8DU 543366
16	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0CQ 286654
17	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0LD 614271
18	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1BU 777670
19	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1FV 206529
20	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1KW 686767

उक्त बरामद नोटो को सफेद रंग के कागज के लिफाफे में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर आरोपिता श्रीमती सुशीला की स्कूटी की डिग्गी में रखी रिश्वत राशि के स्थान की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात् स्कूटी की डिग्गी के अन्दर रखी गयी रिश्वत राशि की जगह की कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का डी–1, डी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा कपड़े की चिन्दी को पंखे की हवा मे सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपडे की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। रूबरू परिवादी व स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री शरीफ हुसैन के भाई श्री सद्दाम के विरूद्ध महिला थाना झालावाड़ में दर्ज प्रकरण संख्या 78/2022 धारा 341,323,354 भा.द. सं. की केस पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 10:45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शरीफ हुसैन के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं नजरी निरीक्षण बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11:00 पीएम पर आरोपिता श्रीमती सुशीला हाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी गवाह श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड़ से लिवायी जाकर रूबरू गवाहान के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार की गयी। आरोपिता श्रीमती सुशीला की गिरफ्तारी की सूचना श्रीमती उमा सोलंकी एएसआई महिला थाना झालावाड़ को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11:10 पीएम पर आरोपिता श्रीमती सुशीला हाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्रीमती चन्द्रंकला जांगीड व श्री रोहित कुमार शर्मा के समक्ष, दिनांक 14.06.2022 को परिवादी श्री शरीफ हुसैन द्वारा न्यायालय परिसर झालावाड़ में रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता व दिनांक 14.06.2022 को वक्त रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, का एफएसल से परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज जरिये फर्द प्राप्ति, नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपिता श्रीमती सुशीला ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहती हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11:30 पीएम पर मौके की कार्यवाही के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री शरीफ हुसैन, दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिता श्रीमती सुशीला को साथ लेकर मय ट्रेप वॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 10,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल एलएच–1, एलएच–2, आरएच–1, आरएच–2, डी–1, डी–2, कपड़े की चिन्दी का पैकिट शील्ड शुदा व जब्त शुदा रिकॉर्ड के मय साथ लाये अपने–अपने वाहनों से आरोपिता श्रीमती सुशीला के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लेने हेतु किसान भवन के पास ब्रजनगर, झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 11:40 पीएम पर गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती सुशीला सहायक उप निरीक्षक को साथ लेकर मय हमराही दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के वास्ते खाना तलाशी हेतु किसान भवन के पास ब्रजनगर, झालावाड़ आरोपिता के रिहायशी मकान पर पहुंचा। मकान की बेल बजाई तो एक व्यक्ति बाहर आया जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री मनोज कुमार आरोपिता श्रीमती

सुशीला का पति होना बताया। जिसको हालात से अवगत कराकर मकान की खाना तलाशी लेने की सहमति चाही गयी तो उसने सहमती दी। समय 11:45 पीएम पर आरोपिता श्रीमती सुशीला के रिहायशी मकान की खाना तलाशी ली गई तो कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु जैसे स्थावर सम्पत्ति के कागजात, नकदी, स्वर्ण आभूषण आदि नहीं मिले ना ही कोई वस्तु इत्यादी कब्जे ब्यूरो ली गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 15.06.2022 समय 12:15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपिता श्रीमती सुशीला को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व बरामद शुदा रिश्वत राशि 10,000रूपये इत्यादी के मय सरकारी वाहन से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को भी उसकी स्वंय की मोटर साईकिल से तथा अन्य ब्यूरो स्टाफ को उनकी मोटर सांईकिलों से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिये गये। समय 12:25 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपिता श्रीमती सुशीला एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। साथ ही परिवादी श्री शरीफ हुसैन भी अपनी स्वंय की मोटर साईकिल से व ब्यूरो स्टाफ भी उनकी मोटरसाईकिलों से ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। समय 12:30 एएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 14.06.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आरोपिता श्रीमती सुशीला एवं परिवादी श्री शरीफ हुसैन के बीच हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री देवदान सिंह कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मुर्तिब कर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 12:55 एएम पर दिनांक 14.06.2022 को आरोपिता श्रीमती सुशीला सहायक उप निरीक्षक व परिवादी श्री शरीफ हुसैन के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.06.2022 को समय 06.30 पीएम पर तैयार की गई थी व दिनांक 14.06.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आरोपिता श्रीमती सुशीला व परिवादी श्री शरीफ हुसैन के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 15.06.2022 को समय 12.30 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को कार्यालय कम्प्यूटर में सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के जरिये उक्त दोनों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपिता श्रीमती सुशीला के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग एवं जब्ती सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 01:00 एएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण आरोपिता श्रीमती सुशीला सहायक उप निरीक्षक को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 व श्रीमती चन्द्रंकला स्वतंत्र गवाह के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। समय 01:40 एएम पर आरोपिता श्रीमती सुशीला सहायक उप निरीक्षक को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 व श्रीमती चन्द्रंकला स्वतंत्र गवाह [illegible] कार्यालय में उपस्थित आये। समय [illegible] एएम पर परिवादी श्री शरीफ हुसैन एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमती चन्द्रंकला व श्री रोहित कुमार शर्मा को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री शरीफ हुसैन ने दिनांक 14.06.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झालावाड़ के नाम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बावत् एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधी में आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपिता श्रीमती सुशीला एएसआई द्वारा परिवादी श्री शरीफ हुसैन के भाई श्री सद्दाम के विरूद्ध महिला थाना झालावाड़ में दर्ज प्रकरण संख्या 78/2022 धारा 341,323,354 भा.द.सं. में आरोपी श्री सद्दाम की आरोपिता श्रीमती सुशीला सहायक उप निरीक्षक महिला थाना झालावाड़ द्वारा न्यायालय से जमानत कराने की एवज में परिवादी श्री शरीफ हुसैन से 15,000रूपये की रिश्वत मांग कर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान परिवादी श्री शरीफ हुसैन से न्यायालय परिसर में 5,000रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि के 10,000रूपये परिवादी को महिला थाना के सामने स्थित सत्यनारायण भगवान के मन्दिर के पास, झालावाड़ बुलाकर अपनी स्कूटी होंडा एक्टीवा रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17 एसएच 8456 ग्रे

कलर की डिग्गी का लॉक खोलकर उसमें रखी हुयी सब्जी की थैलियों व पर्स के बगल में रखवाना। जहां से स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की निशादेही से स्वतः गवाह श्री रोहित कुमार शर्मा से डिग्गी का लॉक खुलवाकर रिश्वत राशि के 10,000रूपये बरामद कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपिता श्रीमती सुशीला के दोनों हाथों का धोवन लिया गया तो दोनों हाथों के धुलाई का धोवन मटमेला प्राप्त हुआ तथा उसकी स्कूटी की डिग्गी के अन्दर रखी गयी रिश्वत राशि की जगह की कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। परिवादी श्री शरीफ हुसैन के भाई श्री सद्दाम के विरूद्ध महिला थाना झालावाड़ में दर्ज प्रकरण संख्या 78/2022 से सम्बंधित प्रकरण की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्राप्त फोटोप्रति के अवलोकन से तथा परिवादी द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.06.2022 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.06.2022 तथा फर्द बरामदगी रिश्वत राशि से आरोपिया का उक्त कृत्य जुर्म अंर्तगत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 के अन्तर्गत प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपिता श्रीमती सुशीला पत्नि श्री मनोज कुमार जाति कहार माली उम्र 50 साल निवासी फिरदौस भवन के पास ब्रजनगर झालावाड़ थाना कोतवाली झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक महिला थाना झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपिता के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सी0पी0एस0 राज0 जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुशीला, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, महिला थाना, झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 238/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2095-99 दिनांक 15.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

15.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।